क्रम-संख्या—1106

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेंस सं० डब्लू० पी०—

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1987

श्रावण 7, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1137/सत्रह–वि–1––1(क)–14–1987

लखनऊ, 29 जुलाई, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पर दिनांक 29 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1987]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) के नियुक्ति प्राधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था करने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 19 जून, 1981 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

नियुक्ति प्राधिकारी

2--उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) का नियुक्ति प्राधिकारी उक्त निगम का निदेशक बोर्ड या नियुक्ति करने के लिये उक्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा और उसके अन्तर्गत सदैव सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन जैसा वह सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधन किये जाने के पूर्व था, उक्त निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी समझा जायगा। अधिनियम संख्या ... सन् 19... अधिनियम संख्या ... सन् 19...

कतिपय कार्यों का वैधीकरण

3--किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 के किसी उपबन्ध के होते हुए भी, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 19 जून, 1981 को या उसके पश्चात् दिये गये किसी आदेश, कृत कार्य या कार्यवाही या प्रयुक्त अधिकारिता को केवल इस आधार पर कि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे, अविधिमान्य या शून्य नहीं समझा जायगा या कभी भी अविधिमान्य या शून्य हुआ नहीं समझा जायगा।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1137(2)/XVII-V-1—1(KA)14-1987

Dated Lucknow, July 29, 1987

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Sarak Parivahan Nigam Karmachari (Adhikarion Se Bhinna) (Niyukti Pradhikari) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1987:

THE UTTAR PRADESH STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION EMPLOYEES (OTHER THAN OFFICERS) (APPOINTING AUTHORITIES) ACT, 1987

[U. P. ACT NO. 15 OF 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for appointment of the appointing authorities of the employees (other than officers) of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and to validate certain acts.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) (Appointing Authorities) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 19, 1981.

Appointing authorities

2. The appointing authorities of the employees (other than officers) of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be the Board of Directors of the said Corporation or an officer authorised by the said Board to make appointment and will be deemed always to include any officer authorised by the said Corporation under clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Road Transport Corporation Act, 1950, as it stood prior to its amendment by the Road Transport Corporation (Amendment) Act, 1982. Act no. ... of 1950 Act no. ... of 1982

3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, Tribunal or other authority or any provisions of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) Service Regulations, 1981, no orders made, actions or proceedings taken or jurisdiction exercised on or after June 19, 1981 by the officers authorised as appointing authorities by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation under clause (*c*) of sub-section(1) of section 12 of the Road Transport Corporation Act, 1950 shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void merely on the ground that such authorised officers were not the appointing authorities. Vaidation of certain acts.

U.P. Ordinance no. 9 of 1987 4. (1) The Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Employees (Other than Officers) (Appointing Authorities) Ordinance, 1987, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 98 सा0 (विधा0)--(1779)--1987--850 (मैक0)